

परियोजना का नाम:—

राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग—नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे0 सिविल वन भूमि, 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि, 5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल भूमि 6.450 हे0 सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप—6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 05/3/2016 को अ.ख.लो.नि.वि. गौचर (एजेन्सी का नाम) के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग—नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग के 25.00(हे0मी0 4-6) से प्रारम्भ होकर लम्बाई 10.00 कि0मी0 ग्राम केदारकोट तक बनाये जाने वाले मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दिगम्बर प्रसाद सेमवाल, (वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड), श्री त्रिलोक सिंह नेगी (वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड) राजस्व विभाग की ओर से श्री हरीश कुमार (पटवारी क्षेत्र कण्डारा/कनखुल), श्री विनादे कुमार (पटवारी क्षेत्र जाख पाटियो) प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री एम0एस0 रावत (सं.अभि0), श्री विनोद चौहान (क0अभि0) अन्य दावेदारों की ओर से स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती रामेश्वरी देवी (ग्राम पंचायत कण्डारा) एवं श्रीमती-ब्राकुन्तली (ग्राम पंचायत कोट) के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखण के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखण/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें से नाप भूमि 1.500(कि0मी0) सिविल वन भूमि 0.400 (कि0मी0), वन पंचायत भूमि 0.500 (कि0मी0), आरक्षित वन भूमि 7.60(कि0मी0) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0, जिसमें से नाप भूमि 1.050हे0 सिविल वन भूमि 0.280 हे0, वन पंचायत भूमि 0.350 हे0, आरक्षित वन भूमि 5.320 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे0 कुल 7.500 हे0 के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 234 वृक्ष चीड़, खड़ी, क प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। जिनमें से बांज प्रजाति के 8 वृक्ष प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखा गया है उसकी लम्बाई 1.500 कि0मी0 नाप भूमि से 1.500 (कि0मी0) सिविल वन भूमि से 0.400 (कि0मी0), वन पंचायत भूमि 1.000 (कि0मी0), आरक्षित वन भूमि 7.60(कि0मी0) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.050 हे0 नाप भूमि...1.050 हे0 सिविल वन भूमि 0.280 हे0, आरक्षित वन भूमि 5.320, वन पंचायत भूमि 0.700 एवं मक डिस्पोजल 0.500 हे0 की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 7.850 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 234 वृक्ष चीड़, खड़ी, क प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिनमें से बांज प्रजाति के 4 वृक्ष प्रभावित होंगे। अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपर्युक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण वन पंचायत से गुजरेगा। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान है तथा यह स्थल...30° 13' 8.76"N, 79° 18' 33.33"E से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल...30° 13' 56.87"N, 79° 21' 15.26"E है जिसका GPS मान है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान है।

चयनित समरेखण में कुल 234 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पर्व/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नहीं है।

चयनित उपर्युक्त स्थल पर 10.00 कि0मी0 के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उनके निस्तारण हेतु 08 स्थल उपर्युक्त पाये गये हैं। जिनका GPS मान (30° 13' 6.53"N, 79° 19' 02.15"E), (30° 12' 56.17"N, 79° 19' 29.44"E), (30° 13' 11.03"N, 79° 19' 47.71"E), (30° 13' 26.39"N, 79° 19' 50.83"E), (30° 13' 37.45"N, 79° 20' 1.21"E), (30° 13' 31.69"N, 79° 20' 27.00"E), (30° 13' 40.20"N, 79° 20' 46.44"E), (30° 13' 54.84"N, 79° 21' 08.70"E) अन्य आवश्यक विवरण—संलग्न है।

हस्ताक्षर

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

प्रतिनिधि

हस्ताक्षर

(वन विभाग)

प्रतिनिधि

हस्ताक्षर

(राजस्व विभाग)

प्रतिनिधि

पटवारी
हकीम
जिला चमोली (उत्तरांचल)